

राजस्थान सरकार
कार्यालय शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त ईजीएस

265

क्रमांक: F 4 (40) RDR PR/NREGS/08-09. जयपुर दिनांक : 3 APR 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान
डूंगरपुर, राजस्थान

विषय :- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान के अन्तर्गत मेटों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण के पश्चात श्रमिकों के समूहवार अलग-अलग माप की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु फॉलोअप प्रक्रिया ।

महोदया,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत वर्तमान में भी अधिकतर कार्यस्थलों पर न्यूनतम मजदूरी 100 रु सुनिश्चित नहीं हो पा रही है । इसका एक प्रमुख कारण श्रमिकों का सामूहिक माप प्रक्रिया है जिसकी वजह से मेहनतकश श्रमिकों को पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा है । मेहनतकश श्रमिक " पूरा काम, पूरा दाम " चाहता है परन्तु राज्य सरकार द्वारा दैनिक कार्य माप प्रपत्र व जारी निर्देशों के बावजूद वर्तमान में कार्यस्थलों पर व्यक्तिगत अथवा 5-5 के समूहों की माप की कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है । काम करने वाले श्रमिकों को 100 रु कमाने में मुश्किल हो रही है जो कि एकट की मूल भावना के प्रतिकूल है ।

कार्यस्थल पर काम के आधार पर न्यूनतम मजदूरी, गुणवत्ता, प्रभावी निगरानी तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मेट की प्रभावी भूमिका है । अतः एकट की मूल भावना के अनुरूप मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने तथा कार्यस्थल पर कार्य प्रबन्धन हेतु मेट प्रशिक्षण हेतु तीन दिवसीय मॉड्यूल भी जारी किया जा चुका है ।

सूचना व रोजगार अधिकार अभियान राजस्थान व इन्दिरा गॉंधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर के प्रशिक्षण दलों द्वारा डूंगरपुर जिले के दो विकास खण्डों के मेटों के प्रशिक्षण का प्रथम चरण सम्पन्न हो चुका है ।

द्वितीय चरण में दो विकास खण्डों की समस्त पंचायतों के कम से कम एक कार्यस्थल पर 5-5 के समूहों की अलग-अलग माप सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अप्रैल माह के द्वितीय पखवाड़े में सूचना व रोजगार अधिकार अभियान की टीम के सहयोग से फॉलोअप की कार्य योजना संलग्न की जा रही है । इस 15 दिवसीय मेट फील्ड प्रशिक्षण में प्रथम चरण के प्रशिक्षण में सीखी गई जानकारी व अनुभवों को जमीनी धरातल पर पक्का करना आवश्यक है । अतः पालना सुनिश्चित करावे ।

(Signature) 13/4/09

राजेन्द्र भाणावत
शासन सचिव, ग्रामीण विकास
एवं आयुक्त ईजीएस

प्रतिलिपि : श्री निखिल डे प्रतिनिधि, सूचना व रोजगार अधिकार अभियान व एम.के.एस.एस. राजस्थान को सूचनार्थ व अपेक्षित सहयोग हेतु प्रेषित है ।

फॉलोअप कार्य योजना

- प्रथम चरण के तीन दिवसीय मेट मॉड्यूल के अनुसार प्रशिक्षित मेटों (महिलाओं को प्राथमिकता) को ही कार्यस्थल पर नियुक्त किया जावेगा ।
- द्वितीय चरण फील्ड प्रशिक्षण (फॉलोअप प्रक्रिया) का 15 दिवसीय दिवसीय मॉड्यूल संलग्न है ।
- पखवाड़े के दौरान मेट का प्रमुख कार्य कार्यस्थल पर आए श्रमिकों की इच्छा के अनुरूप 5-5 के समूह तैयार करना, मस्टररोल के पीछे अंकित दैनिक कार्य माप प्रपत्र पर श्रमिकों के नाम लिखना तथा इसी के अनुरूप ये नाम मस्टर रोल पर अंकित किए जावेंगे । प्रति समूह कार्य की मात्रा, माप व स्थलों का आवंटन लीड-लिफ्ट के अनुसार कार्य की मात्रा की जानकारी तथा कार्यस्थल पर श्रमिकों हेतु सभी सुविधाएँ सुनिश्चित करना भी मेट का दायित्व है । रोजगार सेवक द्वारा संबंधित पंचायत में कम से एक कार्यस्थल पर नियुक्त मेटों के साथ श्रमिकों के विभिन्न समूहों की अलग-अलग माप व्यवस्था व दिहाड़ी सुनिश्चित की जावेगी ।
- कार्यस्थल पर नियुक्ति के पश्चात प्रत्येक मेट के कार्य की निरीक्षण की रिपोर्ट संबंधित ग्राम सेवक अथवा रोजगार सेवक द्वारा भरी जावेगी । (प्रपत्र संलग्न है)
- कार्य के अन्तिम दिवस क.अ./तकनीकी सहायक द्वारा कार्य की सामूहिक माप व प्रपत्र के अन्तिम कॉलम की गणना करवा समूहवार टास्क व दरों से श्रमिकों के अवगत कराना तथा पखवाड़े के अंत में प्रत्येक समूह (एक मेट=5-5 के आठ समूह) की काम के आधार पर दिहाड़ी निकालने के पश्चात ही मेट को कार्य के योग्य माना जा सकेगा ।

सूचना व रोजगार अधिकार अभियान का अपेक्षित सहयोग

- प्रत्येक विकास खण्ड में सूचना व रोजगार अधिकार अभियान के चार-चार कार्यकर्ताओं को इस कार्य हेतु चयनित किया गया है ।
- पखवाड़े के दौरान विभिन्न स्तरों पर कार्यस्थलों पर रोजाना की जिम्मेदारी निगरानी व फॉलोअप की प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना का Daily Schedule व फालोअप शीट प्रपत्र संलग्न है ।
- पखवाड़े के अंत में पंचायतों में समूहवार दिहाड़ी की गणना का प्रपत्र विश्लेषण हेतु संलग्न है ।

कार्य के दौरान मेट के कार्य की निरीक्षण रिपोर्ट
(“नरेगा” कार्यस्थल पर तैयार की जानी है)

कार्य का नाम ग्राम/ग्रा0प0 प0स0/जि0.....
 कार्यकारी एजेन्सी सत्र स्वीकृत राशि
 कार्यस्थल पर कार्यरत मेट का नाम ग्राम
 शैक्षणिक योग्यता प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित..... प्रशिक्षण दिनांक/दिवसीय.....

1. कार्यस्थल पर कार्यरत मजदूरों की संख्या – महिला पुरुष योग.....
 इनमें से : मेट पु0.....म0.....योग..... पानी पिलाने वाला(ले) व्यक्तिकेश महिला
2. कार्यस्थल पर काम संबंधी कोई बोर्ड लगा है क्या ? हाँ/नहीं
 यदि हाँ तो उस बोर्ड पर निम्नलिखित सूचनाओं में से जो सूचनाएं अंकित है कृपया सही के निशान (✓) से अन्यथा (×) अंकित करें –
 1) कार्य का नाम 2) कार्यकारी एजेन्सी 3) स्वीकृत राशि (श्रम व सामग्री) 4) स्वीकृत वर्ष
 5) प्रारम्भ दिनांक 6) आईटमों का विवरण 7) आवश्यक सामग्री का विवरण
3. कार्यस्थल पर मस्टररोल है या नहीं ? हाँ/नहीं
4. हाजरी मस्टररोल में लिया जा रहा है या किसी कापी/रजिस्टर में ?
5. यदि पक्के काम हो तो कार्यस्थल पर सामग्री रजिस्टर है ? हाँ/नहीं
 यदि हाँ तो क्या सभी के लिए खुला है । हाँ/नहीं
6. 6 वर्ष तक के पांच या अधिक बच्चे हैं व केश हेतु अतिरिक्त महिला को नियुक्त किया है ? हाँ/नहीं
 अ) छोटे बच्चों के अभाव में केश की आवश्यकता नहीं है ? हाँ/नहीं
 ब) छोटे बच्चों के लिए पालनों की उपलब्धता है ? हाँ/नहीं
7. कार्यस्थल पर छाया की व्यवस्था है क्या ? हाँ/नहीं
 अ) यदि है तो टेन्ट/झोंपड़ी/पेड़ों से है ?
8. कार्यस्थल पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था है ? हाँ/नहीं
9. राज्य सरकार के निर्देशानुसार नियोजित श्रमिकों में से दलितों व आदिवासियों को पानी पिलाने के काम पर रोटेशन से लगाया जा रहा है ? हाँ/नहीं
10. कार्यस्थल पर मेडिकल किट उपलब्ध है ? हाँ/नहीं
 यदि हाँ तो क्या अ) मेट को दवाईयों से संबंधित जानकारी है हाँ/नहीं

- ब) क्या ए.एन.एम. कार्यस्थल पर पख0/सप्ताह में महिलाओं की जांच के लिए आती है? हाँ/नहीं
11. कार्यस्थल पर गम्भीर दुर्घटना अथवा शारीरिक क्षति की जानकारी ??
- अ) कार्यस्थल पर दुर्घटना से किसी मजदूर अथवा कार्यरत महिलाओं के बच्चों की शारीरिक क्षति होती है तो निःशुल्क उपचार की जानकारी ? हाँ/नहीं
- ब) अस्पताल में भर्ती होने के दिनों के लिए आधे दिन की मजदूरी दर के हिसाब से भुगतान की जानकारी ? हाँ/नहीं
- स) कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत अथवा स्थायी रूप से विकलांग व्यक्ति के आश्रित को रु 25,000 की सहायता की जानकारी ? हाँ/नहीं
12. कार्यस्थल पर मजदूरों के जॉब कार्ड उपलब्ध है क्या ? हाँ/नहीं
13. जॉब कार्ड से संबंधित यदि कोई टिप्पणी हो तो दर्ज करें :
14. क्या-मेट के पास-मेट किट (बिग में फीता,कैल्कुलेटर व मेडिकल किट) है ? हाँ/नहीं
15. एवजी में तो मजदूर कार्य नहीं कर रहे हैं ? हाँ/नहीं
16. क्या मेट को माप की पूरी जानकारी है ? हाँ/नहीं
17. फीते पर फुट व ईंच पढने का ज्ञान है ? हाँ/नहीं
18. क्या मेट कार्य की मात्रा की गणना करने में सक्षम है ? हाँ/नहीं
19. क्या मेट श्रमिकों को रोजाना कार्य के पश्चात दिहाड़ी बताने में सक्षम है ? हाँ/नहीं

कार्यस्थल पर मजदूरों से बातचीत के दौरान पूछें कि -

20. कार्यस्थल पर मेट का श्रमिकों के प्रति व्यवहार ?
टिप्पणी.....
21. रोजाना किए जाने वाले कार्य की मात्रा के बारे में मजदूरों को जानकारी है ? हाँ/ नहीं
22. कार्यस्थल पर नपती बोर्ड है अथवा नहीं ? हाँ/ नहीं
23. श्रमिकों के समूह (5-5 श्रमिकों के) गठित किए गए हैं ? हाँ/ नहीं
यदि हाँ तो समूह, श्रमिकों ने अपनी इच्छानुसार अथवा मेट ने बनाए हैं ?
24. रोजाना कार्य शुरू करने से पहले क्या मेट द्वारा काम माप कर दिया जा रहा है ? हाँ/नहीं
25. लिफ्ट और लीड को माप में शामिल किया जा रहा है ? हाँ/नहीं
26. रोजाना कार्य के पश्चात मेट द्वारा माप लिया जा रहा है ? हाँ/नहीं
यदि हाँ तो (अ) क्या श्रमिकों को काम व दिहाड़ी रोजाना बताया जा रहा है ? हाँ/नहीं

- (ब) "दैनिक कार्य मेट माप प्रपत्र" में माप का विवरण दर्ज किया जा रहा है? हाँ/नहीं
 (स) प्रपत्र के माप के कॉलम में समूहों के सदस्यों के रोजाना हस्ता/अंगूठा
 करवाए जा रहे हैं ? हाँ/नहीं

27. आवंटित दैनिक कार्य समाप्त करने के पश्चात करने के पश्चात घर जानें की छूट है ? हाँ/नहीं
 28. माप सामूहिक तौर पर लिया और दिया जा रहा है या व्यक्तिगत ?
 29. क्या मजदूरों के मजदूर कार्ड रोजाना भरे जा रहे हैं ? हाँ/नहीं

कार्यस्थल पर प्रस्तावित गतिविधि -

30. मस्टररोल चैक करना, पढ़कर सुनाना, कितने मजदूर मस्टररोल में है और
 कितने कार्यस्थल पर मौजूद मिले (कॉलम 1 से तुलना करना)
 31. मस्टर रोल में कोई फर्जी हाजरी तो नहीं पाई गई है ? हाँ/नहीं
 32. मस्टररोल सबके लिए खुला है या नहीं ? हाँ/नहीं
 33. मजदूरों की कार्यस्थल संबंधित कोई शिकायत है विवरण दें ?
 34. इस कार्य को ठेकेदार अथवा मशीन द्वारा कराया जा रहा है ? हाँ/नहीं

नाम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत (कार्यरत स्थान)

हस्ताक्षर. मय दिनांक

15 दिवसीय मेट फील्ड प्रशिक्षण द्वारा कार्यस्थलों पर मेट द्वारा ली गई

दैनिक माप व्यवस्था लागू करना

(फॉलोअप प्रक्रिया)

संबंधित रोजगार सेवक द्वारा सुनिश्चित की जावेगी

द्वितीय चरण

प्रथम दिवस

6:00 - 2:00

- पंचायत के सभी कार्यस्थलों पर आए श्रमिकों की इच्छा के अनुरूप 5-5 के समूह तैयार करना रोजगार सेवक की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।
- मेट माप प्रपत्र में मस्टररोल के अनुसार नाम लिखना व प्रति समूह कार्य व स्थलों का आवंटन
- कार्यस्थल पर श्रमिकों हेतु सभी सुविधाएँ सुनिश्चित करना
- कार्यस्थल डायरी के सभी आवश्यक प्रपत्र तैयार करना

- पारदर्शिता के समस्त व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करना
- कार्य समाप्ति के पश्चात समूहवार कार्य मापना व दिहाड़ी से अवगत कराकर प्रपत्र में इन्द्राज कर श्रमिकों के समूहों के लीडर के हस्ताक्षर कराना

द्वितीय दिवस से चौदहवें दिवस तक

6:00 – 2:00

- सभी कार्यस्थलों पर प्रति समूह कार्य माप कर देना व स्थलों का आवंटन
- पारदर्शिता के समस्त व्यवस्थाएँ की सुनिश्चित कायम रखना
- कार्य-समाप्ति के पश्चात समूहवार कार्य मापना व प्रपत्र में इन्द्राज कर श्रमिकों के समूहों के लीडर के हस्ताक्षर कराना
- मजदूरों द्वारा किए गए कार्य से समूहों को अवगत कराना तथा यदि समूहों द्वारा कार्य कम किया जा रहा है तो "पूरा काम, पूरा दाम" के प्रयास करना तथा सुनिश्चित करना ।

पन्द्रहवें दिवस

6:00 – 2:00

- मजदूरों द्वारा किए गए कार्य व दिहाड़ी से समूहों को अवगत कराना
- मेट द्वारा तैयार दैनिक कार्य माप प्रपत्र को पूर्ण करना
- कार्य के अन्तिम दिवस क.अ./तकनीकी सहायक द्वारा कार्य की सामूहिक माप व प्रपत्र के अन्तिम कॉलम की गणना करवा समूहवार टास्क व दरों से श्रमिकों के अवगत कराना ।